कार्यालय प्रमुख अभियंता
मध्यप्रदेश लोक निर्माण विभाग
27–28 निर्माण भवन प्रथम तल अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.)
website : www.mppwd.gov.in Email : pwdbhop@mp.nic.in
Phone - 0755 - 2551485, Fax - 2556527

ज्ञाप क्रमांक संचार/सर्कुलर/लोनिवि/2016/2780 भोपाल, दिनांक 26/08/2016

प्रति,

मुख्य अभियंता,
सेतु परिक्षेत्र,
म.प्र. लोक निर्माण विभाग,
भोपाल।

विषयः– प्रदेश में पुलों का सूक्ष्म निरीक्षण बाबत।

प्रदेश में पुलों के सूक्ष्म निरीक्षण करने के संबंध में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक संचार/ सर्कुलर/लोनिवि/2015/3937 दिनांक 13/10/2015 एवं पत्र क्र. संचार/सर्कुलर/लोनिवि/ 2016/ 2334 दिनांक 22/07/2016 के द्वारा आपको पूर्व में निर्देशित किया गया था (दोनो पत्रों की छाया प्रति सुलभ संदर्भ हेतु पुनः संलग्न है)। यह पाया गया है कि अभी भी आपके द्वारा इस संबंध में कोई विशेष कार्यवाही नही की गई है । यह अत्यंत खेदजनक है।

पुलों के नियमित निरीक्षण के संबंध में कार्य विभाग नियमावली में स्पष्ट प्रावधान है तथा इस संबंध में आई.आर.सी. के द्वारा एस.पी.–18 "मैन्युअल फॉर हाईवे ब्रिज मेन्टेनेंस इस्पेक्शन" में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये गये है। आपको यह भी विदित होगा की विभाग में पुलों के सूक्ष्म निरीक्षण के लिए एक मोबाईल ब्रिज इन्सपेक्शन युनिट भी उपलब्ध है।

पुलों के सूक्ष्म निरीक्षण के संबंध में प्रमुख सचिव महोदय द्वारा भी अर्धशासकीय पत्र दिनांक 16/08/2016 (छायाप्रति संलग्न) के द्वारा निर्देश जारी किये गये है। पुलों के निरीक्षण के संबंध में निम्नानुसार कार्यवाही की जाना सुनिश्चित करें –

- निर्मित किये गये पुलों का परमानेंट रिकार्ड रजिस्टर ऑफ ब्रिजेस (अपेण्डिक्स 2.07) के अनुसार तैयार किया जाये। सभी पुलों की ड्राईग्सं भी कार्यपालन यंत्री के कार्यालय में रखी जाये। पुलो से संबंधित समस्त जानकारी ए.एम.एस. सॉफ्टवेयर में 7 दिवस में अंकित करायें।

- प्रदेश में निर्मित सभी पुलों का नियमित अर्द्धवार्षिकीय एवं वार्षिकीय निरीक्षण मैन्युअल के पैरा 2.067 से 2.074 के अनुसार अनिवार्य रूप से किया जाये तथा इसका रिकार्ड भी संधारित किया जाये।
- निरीक्षण के दौरान यदि पुल के संधारण की आवश्यकता हो तो उसका तुरंत प्रस्ताव एवं प्राक्कलन तैयार कर प्रस्तुत किया जाये।
- जिन पुलों में अधिक क्षति अथवा असुरक्षित घोषित किये जाते है उनका निरीक्षण संबंधित अधीक्षण यंत्री के द्वारा किया जाये।
- समस्त 25–30 वर्ष पुराने एवं अन्य महत्वपूर्ण पुलों का सूक्ष्म निरीक्षण ब्रिज इन्सपेक्शन युनिट के द्वारा करवाया जाये। इस संबंध में मुख्य अभियंता ऐसे सभी पुलों के निरीक्षण के लिए ब्रिज इन्सपेक्शन युनिट का एक निश्चित कार्यक्रम तैयार कर रूट प्लान बनायेगें जिसके अनुसार पुलों का निरीक्षण कार्य किया जायेगा। इस कार्यक्रम में मुख्य अभियंता द्वारा यह स्पष्ट रूप से दर्शाया जायेगा की ब्रिज इन्सपेक्शन युनिट के द्वारा किस दिन किस पुल का किस अधिकारी द्वारा निरीक्षण किया जायेगा। मुख्य अभियंता सभी पुराने पुलों के निरीक्षण हेतु कार्यक्रम तैयार कर अधोहस्ताक्षकर्ता को 15 दिन की अवधि में प्रस्तुत करें जिससे की वर्षा ऋतु के समाप्त होने के तुरंत बाद 2 माह की अवधि में प्रदेश के सभी पुलों का निरीक्षण पूर्ण करवा लिया जाये।
- पुलों के इन्सपेक्शन के समय आई.आर.सी. एस.पी.–18 के अनुसार ब्रिज स्ट्रक्चर, एप्रोचेस, प्रोटेक्टिव वर्क, वाटरवे, फाउण्डेशन्स, सब स्ट्रक्चर, बियरिंग्स तथा सुपर स्ट्रक्चर का सूक्ष्म निरीक्षण किया जायेगा। इसके अतिरिक्त सुपर स्ट्रक्चर में रिन्फोर्स्ड कांक्रीट मेम्बर्स, प्रीस्ट्रेस्ड कांक्रिट मेम्बर्स, स्ट्रक्चरल स्टील मेम्बर्स, मेसनरी आर्चेस, टिम्बर स्ट्रक्चर तथा संस्पेशन ब्रिजेस का सूक्ष्म निरीक्षण किया जाये। इसके अतिरिक्त एक्सपांशन जोईन्टस, वियरिंग कोट, ड्रेनेज स्पाउटस, हैन्डरैल्स, फुटपाथ, युटिलिटी इत्यादि का भी निरीक्षण किया जाये।
- पुलों के सूक्ष्म निरीक्षण के पश्चात आवश्यकतानुसार इनके मरम्मत/ विशेष मरम्मत के प्रस्ताव एवं प्राक्कलन तैयार कर तुरंत सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त कर इन कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर संपादित किया जाना सुनिश्चित किया जाये। यदि किसी प्रकरण में पुल विशेषज्ञ की आवश्यकता हो तो उनकी सेवाएं प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव अधोहस्ताक्षकर्ता को प्रस्तुत किये जाये।

उपरोक्तानुसार निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाये ।

सहपत्र– उपरोक्तानुसार।

(अखिलेश अगव्राल)
प्रमुख अभियंता,
लोक निर्माण विभाग मध्यप्रदेश

पृष्ठ क्रमांक संचार/सर्कुलर/लोनिवि/2016/2781 भोपाल, दिनांक 26/08/2016

प्रतिलिपि –

1. निज सहायक , माननीय मंत्रीजी लोक निर्माण विभाग ।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, लोक निर्माण विभाग, भोपाल ।
3. समस्त मुख्य अभियंता, म.प्र. लोक निर्माण विभाग । शासन के पत्र दिनांक 13/03/2012 के द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में आपके अधिकार क्षेत्र में आने वाले पुलों के संबंध में उपरोक्तानुसार कार्यवाही की जाना सुनिश्चित करें।
4. समस्त अधीक्षण यंत्री, म.प्र. लोक निर्माण विभाग
5. समस्त कार्यपालन यंत्री, म.प्र. लोक निर्माण विभाग
6. आई.टी.सेल, कार्यालय प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग, भोपाल की ओर। परिपत्र मेल से समस्त संबंधित को प्रेषित किये जाने एवं विभाग की वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु अग्रेषित।

सहपत्र– उपरोक्तानुसार स.क्र.3 के लिए।

(अखिलेश अगव्राल)
प्रमुख अभियंता,
लोक निर्माण विभाग मध्यप्रदेश